— अशोक के प्रशासनिक सुधार —

मूलत: चन्द्रगुप्त मौर्य एवं उसके कुशल मंत्री चाणक्य द्वारा स्थापित थी परन्तु अशोक ने उसमें कुछ सुधार भी किए।

1- सम्राट- एक विस्तृत साम्राज्य का एकछत्र शासक था। उसने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की। रोमिला थापर के अनुसार इसका उद्देश्य राजा की दैवीय शक्ति को अभिव्यक्त करना था। उसने अपने छठे अभिलेख में कहा - सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है। वह अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था।

· मन्त्रिपरिषद - सम्राट के कार्यों में सहायता देने के लिए मन्त्रीपरिषद होती थी। चन्द्रगुप्त ने सचिवों की नियुक्ति की थी। एवं राज्य के सर्वोच्च अधिकारी मन्त्री कहलाते थे। अशोक ने इसके लिए परिषद शब्द का प्रयोग किया जिसका कार्य राजा को परामर्श देना था। तीसरे एवं छठे अभिलेख में परिषद के कार्यों का उल्लेख है। सम्राट के आदेशों पर वह विचार करती थी।

· प्रान्तीय शासन - राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बाँटा गया था। सबसे बड़ी इकाई प्रान्त थी।

5 प्रान्तों का उल्लेख है :- (i) उत्तरापथ, राजधानी - तक्षशिला।
(ii) अवन्तिरट्ठ - राजधानी - उज्जयिनी (3) कलिंग - तोसली
(4) दक्षिणापथ - सुवर्णगिरी (5) प्राच्य अथवा पूर्वी - पाटलीपुत्र

प्रान्तों के राज्यपाल अधिकांशत: राजवंश से थे जिन्हें 'कुमार' अथवा आर्यपुत्र कहा जाता था। अशोक का पुत्र कुणाल तक्षशिला तथा यवनजातीय तुषास्फ काठियावाड़ का

3. अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी — तीसरे अभिलेख में अशोक ने स्वयं के द्वारा नियुक्त तीन अधिकारियों के बारे में बताया है :-

(i) युक्त — ये जिले के अधिकारी थे जो कि राजस्व वसूल कर उसका लेखा जोखा रखते थे। साम्राज्य के सम्पत्ति का प्रबन्ध करते थे।

(ii) रज्जुक — ये आजकल के बन्दोबस्त अधिकारी के समान थे। जातक कथाओं में इनके लिए रज्जुग्राहक (रस्सी पकड़नेवालों) का प्रयोग हुआ है। अशोक ने चौथे अभिलेख में ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों के नियुक्ति की बात कही है।

(iii) प्रादेशिक — ये मंडल के प्रधान अधिकारी थे जो आजकल के संभागीय आयुक्त के समान थे। ये न्याय का भी कार्य करते थे। स्थानिक एवं गोप के कार्यों की जाँच भी करते थे। अर्थशास्त्र में इनके लिए प्रदेष्टा शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिन्हें विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों की देखभाल करनी होती थी।

4. 12वें शिलालेख में उसने तीन और पदाधिकारियों के नाम गिनाए हैं जिनकी नियुक्ति प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए की गयी थी।

(i) धम्ममहामात्र — इसने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्ममहामात्रों की नियुक्ति की। 5वें शिलालेख में केवल इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल से कभी भी धम्ममहामात्रों की नियुक्ति नहीं हुई। इनका प्रमुख कार्य धर्म की रक्षा तथा वृद्धि करना था।

Scanned with CamScanner

(ii) स्त्र्याध्यक्ष – यह महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने के लिए था।

(iii) व्रजभूमिक – यह गोचर भूमि में बसने वाले गोपों की देखरेख करने वाला एक अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं को व्रज कहा गया है।

5. नगरव्यवहारिक – नगर का न्यायाधीश

6. अन्तमहामात्र – सीमावर्ती प्रदेशों के लिए धर्म प्रचार।

7. दण्ड विधान – उसने दण्ड विधान को उदार बनाने का प्रयास किया। मृत्युदण्ड पाए हुए व्यक्तियों को भी 3 दिन की राहत दी जाती थी। अशोक प्रतिवर्ष जन्मदिन पर (अभिषेक दिवस) कैदियों को मुक्त करता था।

चिकित्सा व्यवस्था – मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए थे – रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अप्राप्त औषधियों को बाहर से मंगवाया जाता था। ✓

परोपकारिता – वट वृक्ष लगवाए, प्रति दो मील पर कुँए, जलाशय, आम्रकुंज

शिलालेख – 1. पशुबलि पर रोक।
2. किं च धम्मे। (दूसरे और 7वें में धम्म का जवाब)
मानव जीवन के मंगलों को अल्प फल तथा धम्म को महाफल
3. कलिंग युद्ध से आहत
5. मनुष्य के नैतिक आचरण के लिए धम्ममहामात्र
6. सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य
7. मैं कहीं भी रहूँ प्रजा की शिकायत सुनने के लिए तैयार हूँ
9. धम्मदान, सामान्य दान से श्रेष्ठतर

Scanned with CamScanner